UPAU010010232026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।

पीठासीन अधिकारी– विकास गोस्वामी (एच 0 जे0 एस 0) JO Code: UP 2393

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं0–363/2026

विजय पुत्र रघुवीर,
निवासी ग्राम पटना, थाना बेला, जिला औरैया।

..... **प्रार्थी/अभियुक्त।**

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... **अभियोजन पक्ष।**

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–127/2017
मुकदमा अपराध संख्या 198/2016
धारा–323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860
व धारा 3(2)5 क अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम
थाना–बेला, जिला औरैया।

दिनांक 30.03.2026

01. अभियुक्त विजय की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त अभियुक्त विशेष सत्र परीक्षण संख्या–127/2017, संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 198/2016, धारा–323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 व धारा 3(2)5 क अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना–बेला, जिला औरैया से संबंधित है तथा न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

02. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपने जमानत प्रार्थना पत्र में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त विशेष सत्र परीक्षण में अभियुक्त है तथा पूर्व से जमानत पर है। जमानत के उपरान्त प्रार्थी पत्रावली पर उपस्थित आता रहा है, पत्रावली वास्ते आरोप विरचन प्रचलित है। प्रार्थी की पत्रावली में दिनांक 21.02.2026 नियत थी, प्रार्थी उक्त दिनांक को अपना इलाज कराने हेतु कानपुर चला गया और अपने अधिवक्ता को सूचना दी थी, जिनके द्वारा हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया और प्रार्थी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट का आदेश पारित हो गया। प्रार्थी वारण्ट के निष्पादन में दिनांक 09.03.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। प्रार्थी जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

Digitally signed by VIKAS GOSWAMI
Date: 2026.03.30 15:42:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

04. जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

05. प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा पर धारा 15ए की उपधारा 3 के अन्तर्गत जारी नोटिस तामील है।

06. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया गया है तथा अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया है।

06. प्रकरण में अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित न आने के कारण उसके विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट निर्गत किया गया। अभियुक्त दिनांक 09.03.2026 से जिला कारागार इटावा में निरूद्ध है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा अनावश्यक रूप से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा। अभियुक्त को निरुद्ध रखने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति की सम्भावना नहीं है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाना उचित होगा।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त विजय की ओर से विशेष सत्र परीक्षण संख्या–127/2017, मुकदमा अपराध संख्या 198/2016, धारा–323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 व धारा 3(2)5क अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना–बेला, जिला औरैया में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु० 25,000/–(पच्चीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 30.03.2026

(विकास गोस्वामी)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
JO Code UP 2393